बिहार सरकार

<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

<u>अधिसूचना</u>

सं0सं09 / आ0–05–17 / 2017 / स्वा0 / पटना,दिनांक /डा0 रामलखन प्रसाद, चि0 पदा0, प्रा0 स्वा0 केन्द्र कुचायकोट, गोपालगंज के विरूद्ध श्री संजीत माँझी, सरपंच, उचकागाँव के परिवाद पत्र दिनांक 4.9.17 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 17.10.2016 को हिरामति देवी के द्वारा मार–पीट का कांड स्थानीय थाना में दर्ज कराया गया, उक्त कांड के लिए थानाध्यक्ष के द्वारा जख्म प्रतिवेदन की मांग की गई। डा0 रामलखन प्रसाद के द्वारा अपने निजी चिकित्सा पूर्जा पर जख्म प्रतिवेदन बनाकर दिया गया तथा इसके लिए अवैध ढंग से राशि प्राप्त की गई। श्री संतोष कुमार यादव, ग्राम–रामपुर, गोपालगंज के परिवाद पत्र दिनांक शून्य द्वारा भी डा0 रामलखन प्रसाद चि0 पदा0, प्रा0 स्वा0 केन्द्र कुचायकोट के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित किया गया।

विभागीय पत्रांक 231(9) दिनांक 12.03.18 एवं पत्रांक 273(9) दिनांक 23.03.2018 द्वारा सिविल सर्जन गोपालगंज से मंतव्य सहित जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। सिविल सर्जन गोपालगंज के पत्रांक 763 दिनांक 16.4.18 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि रिश्वत प्राप्त करने का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन निजी पैड पर भूलवश जख्म प्रतिवेदन निर्गत कर दिया गया।

संपूर्ण मामले की विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत यह पाया गया कि डा0 रामलखन प्रसाद चि0 पदा0, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, कुचायकोट, गोपालगंज निजी पैड पर जख्म प्रतिवेदन निर्गत करने के दोषी है। अतः उन्हें सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से 'निंदन' संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक: 840(9) / स्वा0, पटना , दिनांक: 06/08/2018

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / अवर सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, गोपालगंज / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सारण प्रमंडल छपरा / सिविल सर्जन गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 रामलखन प्रसाद चि0 पदा0, प्रा0 स्वा0 केन्द्र कुचायकोट गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D:\All Letter 2017\Notification.docx